

कायालय ग्राम पंचायत— सादात सरेयाँ
 निवास स्थल— सादात
 जनपद— गाजीपुर
 नाम—

दिनांक १२-०६-२३

विषयः— जल जीवन मिशन (झर घर जल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टक्की के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

स्वाक्षर

अवधार कराना है कि दिनांक १२-०६-२३ को प्रातः १०:०० बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत ने निवास करने वाल प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली बैठक की गयी। बैठक में ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लखपाल, पार्षदिक/जूँहाईस्कूल के प्रधानाचार्य, अव्यायक, शिक्षामित्र, औंगन्धाड़ी कायंकन्नी/मालिका, कोटंदार, ४०एन०एम० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त बैठक में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में निवास करने वाल प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु नियांरित यूजर चार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा नियांरित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परिवार के गुणिया द्वारा दी गई सहमति पन्त्र संलग्न है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के क्रियान्वयन तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु राहमत है।

अतः अनुरोध है कि कृपया यथाजीघ ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण करने हेतु अतिश्यक कार्गंगारी कराने का काट करें।

संलग्नक: परिवारों द्वारा हस्ताक्षित राहमति पत्र।

भवदीय,

प्रबन्ध
ग्राम पंचायत-सरपा सादात
पिठौ राजौर-सादात
जनपद-गाजीपुर (उप्र.)
ग्राम प्रधान

SK
M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P.)



ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय ने "जीवन सुगमता" को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तयार की जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तयारी की तारीख: १२-०६-२३

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: १३-०७-२३

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:

2. ग्राम का नाम: भौदेल

ग्राम पंचायत का नाम: भौदेल

बसौंक बाजार का नाम: भौदेल

जिला का नाम: उत्तराखण्ड

राज्य का नाम: उत्तराखण्ड

ग्राम जनगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, वस्तियों की संख्या और उनके नाम)

I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकर्षकता : (संख्या) मवेशी कुञ्जों को और (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन जिमित आधार पर अर्थात घन्टे निर्धारित गुणवत्ता + वासे..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष तक यानी परिवारों की उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसरधना के अपनात्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की विन्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूर्जी लागत का ____ %, प्रथालन और रख-रखाव लागत के परिणामित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

• पानी की गुणवत्ता का प्रभाण पड़ पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): पी.एच.ई.डी.सी.

समिति को क्या कहा जाता है:

अध्यक्ष का नाम: सुश्मा देवी

लिंग: महिला

आयु:

ग्राम पंचायत संसदीय विभाग
संघीय विभाग-राज्य संघ
संघीय विभाग-राज्य संघ

M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P.)

III. सामाजिक विवरण

6.

वर्तमान वर्ष	पूर्ण वर्ष

7. जनसंख्या अनुमान:

भविष्यवाची घटना - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम घटना - वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मध्येशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): _____

9. कृषि फसल पैटन: _____

प्रमुख फसल	प्रमुख फसल	प्रमुख फसल
प्रमुख फसल	प्रमुख फसल	प्रमुख फसल
प्रमुख फसल	प्रमुख फसल	प्रमुख फसल
प्रमुख फसल	प्रमुख फसल	प्रमुख फसल
प्रमुख फसल	प्रमुख फसल	प्रमुख फसल

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): _____

160 २५ १४० ५.

11. स्थानांकति (समतल, दृश्यान, आटी): _____

२५५८८-

IV. स्थिति विवरण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हैं / नहीं)

("शाम कार्य योजना" के साथ मानचित्र संलग्न वर्ते)

हैं

13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हैं / नहीं)

("शाम कार्य योजना" के साथ मानचित्र संलग्न करें)

हैं

1. जल	उपलब्ध जल संसाधनों का नाम	जल का वर्तमानीय स्थिति (पूर्ण वर्ष)	जल का वर्तमानीय स्थिति (पूर्ण वर्ष)	सामाजिक लोकोन्नति (पूर्ण वर्ष)
2. भौगोलिकी				
3. जल				
4. खाली पशुपालन विवर				



बानी की कल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 162.11 के.एल.डी.
 मरवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 72.12 के.एल.डी.
 मरवेशी कंडौ की आवश्यक संख्या: 3
 माध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 135.11 के.एल.डी.
 अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 72.12 के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/मुकाल/चक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न,
 पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति: मध्य

17. आपातकालीन व्यवस्था का बोई इतिवृत्त जैसे टंकिया, रेत गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति: मध्य

18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: 2120120, 5401150, 1001, 250

पानी की गुणवत्ता

20. फिल्ड परीक्षण किट / तांबल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की घोकरी के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

21. सैनिकी निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मॉड्यूल/प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत
 का नाम (अवस्थिति): _____

कपड़े धीने / स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गोव के कुछ गरीब इलानर्स में कपड़े धोने के लिए और या नस्त कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अधिनियमोंकी स्थानीय संरचनाएँ कौन सी हैं? _____



सोत स्थायित्व

24. भू-जल सोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हाँ/नहीं)

25. गाँव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कार्याकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:

गंदसे जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदसे जल (जल आपूर्ति का 65%): ५६.११ के एल.डी.भलग-अलग सोखता गड़ी वाले परिवारों की संख्या: ३५उन परिवारों की संख्या जिन्हे सोखता गड़ी की आवश्यकता है: ५०आवश्यक सामुदायिक सोखता गड़ी की संख्या: ०८क्या अपशिष्ट तलाश्ट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं): हाँयदि हाँ, तो क्या इसके सिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: ५५ नदी

यदि नहीं, तो गंदसे जल प्रबंधन के बाइन से उच्च उपायों को अपनाया जाना चाहिए?

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस लेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम और तक पहुंच के तिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी., के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूरी हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- अधिरित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल स्प्रिंग बाटर/स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- बाटर यिडाईवीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- मिनो सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारित जल योजना: ३२५०० तकलीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: पाल भीष्म प्रयोग्य भूमि
इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: २११७ प्रयोग्य भूमि भिन्नरित ३२५००वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग का साप दी जाएगी: २५२५योजना की लागत: _____ भारत सरकार का हिस्सा: X राज्य का हिस्सा: X

समुदाय जल हिस्सा: _____ व्यक्तिगत घरेलू अंशदान:

वार्षिक प्रचालन व रख-खात शुल्क: _____ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/

प्रयोक्ता शुल्क: _____ कोई दूसर्य बसावट हो तो, अभिनिर्धारित

पी.डब्ल्यू.एस.: _____

VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत नियिपि/नियि मेल-जोल संभव है। याम समुदाय द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

प्रयोक्ता जल योजना	प्रयोक्ता जल योजना	प्रयोक्ता जल योजना	प्रयोक्ता जल योजना
प्रयोक्ता जल योजना	प्रयोक्ता जल योजना	प्रयोक्ता जल योजना	प्रयोक्ता जल योजना
प्रयोक्ता जल योजना	प्रयोक्ता जल योजना	प्रयोक्ता जल योजना	प्रयोक्ता जल योजना
प्रयोक्ता जल योजना	प्रयोक्ता जल योजना	प्रयोक्ता जल योजना	प्रयोक्ता जल योजना



योजना का नाम	वेज्ज़ा/राज्य सरकार का विभाग	संभावित नियिकियाँ औ शुल्कों की जा सकती हैं	प्रस्तावित नियि
एकीकृत बाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	बाटरशेड प्रबंधन/ आई.डब्ल्यू.एम.पी. कृषि पुनर्विनाश, जल निकायों का नियोग वृद्धि आदि।	
जल गंडारी की मरम्मत, नदीनीकरण और जीणद्वार	जल संसाधन, नदी विभाग और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल गंडारी का जीणद्वार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.टी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	बाटरशेड से संबंधित कारबंदी	
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण अंतर्राज्य	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए नूडल-सिंचाई का प्रबंधन, एन्चॉफर्स से जल की निकासी को बढ़ाव देने के लिए	
शतिष्ठीक बनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राप्तिकरण	पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	बनीकरण, बन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जीवन, बाटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि।	
समर्थ शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में प्रयोजन आपूर्ति का प्रबंधन	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कालेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन नियिकाएँ के तहत जल संरक्षण नियिकियाँ	
जिला स्वच्छ विकास नियि (टी.एम.ए.ए.)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण नियिकियाँ	
एम.पी.एल.ए.डी.	सांखिकी और कार्यक्रम कार्यालय भवन मंत्रालय (एनडीएसपीआई)	अंतर्राज्य अवसरकना	
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	राज्य	अंतर्राज्य अवसरकना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदानाजनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतर्राज्य अवसरकना	
दलदाता/भाष्योजक			

अध्यक्ष का हस्ताक्षर: _____

पी.एच.डी.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: _____

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): _____

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्षः
पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की यौकसी सुनिश्चित करते के लिए पाच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. **कृष्णा** = ७४००७३४४१

2. **रिमा** = ४१४२४४४५५५

3. **भीरा** = ७७५००६४४५३

4. **भौमी** = ९९१४२५२४१५

5. **लीला** = ९३०७५५३०१५

पांप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:

प्रत्यक्ष
ग्राम पंचायत-सारण साधारण
खण्ड-साधारण
जनपद-गाजीपुर (उत्तर)


M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P.)